

ब्याज माफी योजना

चर्चा में क्यों?

11 मई, 2023 को मध्य प्रदेश राज्य मंत्र-परिषद द्वारा लिये गए नरिणय के अनुक्रम में सहकारिता वभिग ने डफिल्टर कृषकों के बकाया कालातीत फसल ऋणों के ब्याज माफी योजना के अंतरगत ब्याज माफ कये जाने के नरिदेश जारी कर दये गए हैं ।

प्रमुख बदि

- सहकारिता वभिग द्वारा जारी नरिदेश अनुसार प्रदेश के ज़िला सहकारी केंद्रीय बैंकों से संबद्ध प्राथमकि साख सहकारी समतियों (पैक्स) के ऐसे कृषक, जनि पर 31 मार्च की स्थति में कुल देयताएँ (मूल ब्याज) 2 लाख रुपए तक है और डफिल्टर हैं, के ब्याज की प्रतपूरति शासन द्वारा की जाएगी ।
- कुल देयताओं की गणना में अल्पकालीन और मध्यकालीन परिवर्तति ऋण को शामिल कया जाएगा ।
- 31 मार्च 2023 की स्थति में प्रदेश में 11 लाख 19 हज़ार डफिल्टर कृषक हैं, जनि पर माफी योग्य ब्याज की राशा लगभग 2 हज़ार 123 करोड़ रुपए है ।
- इस योजना के क्रयान्वयन में पारदर्शति के लये डफिल्टर कृषकों की सूची में यूनकि नम्बर (सरल क्रमांक) के साथ कृषक का नाम, उस पर बकाया मूलधन एवं माफ की जाने वाली ब्याज राशा का वविरण बैंक स्तर पर यूटलिटी पोर्टल से सार्वजनकि कया जायेगा ।
- राज्य शासन द्वारा दी जाने वाली अंशपूजी की राशा का उपयोग सभी संबंधति संस्थाएँ प्रथमतः कृषकों के ब्याज को माफ करने के लये उपयोग करेंगी । प्रदत्त अंशपूजी वापसी योग्य नहीं होगी । कृषकों के लये योजना की अंतिम तिथि 30 नवंबर, 2023 रखी गई है ।
- इस योजना से लाभान्वति कृषकों को कृषि कार्य के लये खाद उपलब्ध कराने हेतु यह वशिष सुवधि दी जाएगी कजतिनी राशा कृषक अपने ऋण खाते में नगद जमा करेंगे, उतनी राशति का खाद समति से ऋण के रूप में प्राप्त कर सकेंगे ।
- ब्याज माफी योजना में डफिल्टर कृषकों की संख्या और ब्याज की राशा आदि में आवश्यकतानुसार संशोधन/परिवर्तन का नरिणय लेने के लये मुख्य सचवि की अध्यक्षता में कमेटी भी गठति की गई है ।
- इस कमेटी में अपर मुख्य सचवि वतित, अपर मुख्य सचवि कसिान-कल्याण तथा कृषि वकिस, सचवि सहकारिता, आयुक्त सहकारिता एवं पंजीयक सहकारी संस्थाएँ सदस्य और प्रबंध संचालक राज्य सहकारी बैंक के संयोजक सदस्य हैं ।
- गौरतलब है कविरष 2019 में कॉन्ग्रेस सरकार ने कसिानों की 2 लाख रुपए तक करज माफी योजना लागू की थी । इसके कारण कसिानों ने ऋण अदायगी बंद कर दी । 1 लाख रुपए तक ऋण माफी के दूसरे चरण के आरंभ में ही मार्च 2020 में कॉन्ग्रेस सरकार के गरिने से यह योजना बंद कर दी गई थी ।
- फरि से कसिानों को करज माफी का लाभ दिलाने के लये मुख्यमंत्री शविराज सहि चौहान ने इसे नये रूप में ब्याज माफी देने की घोषणा की थी । राज्य सरकार ने वरष 2023-24 के बजट में इसके लये 350 करोड़ रुपए का प्रावधान कया गया है ।